रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2007/आषाढ़ 7, 1929
No. 293] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2007/ASADHA 7, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2007

सा.का.नि. 450(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 318 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 2007 है।

(2) ये 1 मई, 2007 को लागू समझे जाएंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"4. **वेतन**—अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन के बराबर और अन्य सदस्यों को किसी निर्वाचन आयुक्त के वेतन के बराबर, वेतन का संदाय किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व संघ की सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन, किसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत (किसी नि:शक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा था, या प्राप्त करने के लिए पात्र होते हुए, उसने ऐसी पेंशन लेने का निश्चय किया था, तो यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि पद ग्रहण करने के पूर्व उसने ऐसी पूर्ववर्ती सेवा की बाबत, उसे देय पेंशन के किसी भाग के बदले में उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त किया था तो पेंशन के उस भाग की रकम ।" ।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 4क का लोप किया जाएगा।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"6. **छुट्टी**—(1) किसी व्यक्ति को, जो अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, उसकी पदावधि के दौरान न कि उसके पश्चात् उन नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, जो उस सेवा को तत्समय लागू हों, जिसमें वह ऐसी तारीख के पूर्व था और विनियम 8 में किसी बात के होते हुए भी, वह ऐसी तारीख को अपने नाम जमा छुट्टी को अग्रनीत करने का हकदार होगा।

(2) किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू हैं।

(3) अध्यक्ष या किसी सदस्य को छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने और उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति, राष्ट्रपति में निहित होगी ।"।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 7 और अनुसूची का लोप किया जाएगा।

6. उक्त विनियमों में विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. **अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय पेंशन** (1)—किसी व्यक्ति के बारे में, जो अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, यह समझा जाएगा कि वह उस सेवा से उस तारीख को सेवानिवृत्त हो गया है जिसको वह अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद ग्रहण करता है, किन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में उसकी पश्चात्वर्ती वह सेवा चालू रहने वाली अनुमोदित सेवा मानी जाएगी जिसे उस सेवा में पेंशन के लिए गणना में लिया जाएगा, जिसमें वह था।

(2) जहां, अध्यक्ष या कोई सदस्य [चाहे उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी रीति से या त्यागपत्र द्वारा] पद छोड़ता है वहां वह इस प्रकार पद छोड़ने पर—

(क) ऐसी पेंशन का हकदार होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में की गई सेवा की अवधि के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त को संदेय पेंशन के बराबर है; और

(ख) ऐसी पेंशन (जिसके अंतर्गत पेंशन का संराशिकरण भी है), कुटुंब पेंशन और उपदान का हकदार होगा, जो समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त को अनुज्ञेय हैं ।

(3) उस दशा के सिवाय जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ता है इन विनियमों के प्रयोजन के लिए यह तभी समझा जाएगा कि उसने अब अपना पद छोड़ दिया है जब—

(क) उसने पदावधि पूरी कर ली है; या

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; या

(ग) चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि उसका पद छोड़ना उसकी अस्वस्थता के कारण आवश्यक है।"।

7. उक्त विनियमों में, विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. **साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने का अधिकार**—अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) में अभिदाय करने का अधिकार होगा।"।

8. उक्त विनियमों में, विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. **सेवा की अन्य शर्तें**—इन विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित उसके सिवाय, यात्रा भत्ता, किराया मुक्त मकान की सुविधा और ऐसे किराया मुक्त मकान के मूल्य पर आयकर के संदाय से छूट, सवारी सुविधा, सत्कार भत्ता, चिकित्सीय सुविधा, पश्च सेवानिवृत्ति फायदों से संबंधित सेवा की शर्तें और सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्त) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त को लागू होती हैं, जहां तक हो सके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को लागू होंगी।"।

9. उक्त विनियमों में, विनियम 11, विनियम 11क, विनियम 12, विनियम 13, विनियम 14, और विनियम 14क का लोप किया जाएगा।

10. उक्त विनियमों में, विनियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"15. **नियमों और आदेशों का लागू होना**—(1) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंध नहीं किया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(2) इन विनियमों की किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा की शर्तों को उसकी नियुक्ति की तारीख को विद्यमान शर्त से कम हितकर बनाती है।"।

[सं. 39019/05/96-स्था. (बी) (जिल्द-4)]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल विनियम, भारत के राजपत्र में, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1402, तारीख 11 अक्तूबर, 1969 द्वारा किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे—

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1	2	3
1.	1230	6-10-79
2.	1418	1-12-79
3.	357	8-03-80
4.	977	27-09-80
5.	832	12-08-81
6.	388	21-05-83
7.	640	3-09-83
8.	584	30-05-84
9.	692	6-09-86
10.	344	30-04-88
11.	583	30-07-89
12.	379	4-06-90
13.	667(अ)	4-07-92
14.	496(अ)	30-06-93
15.	373	2-07-93
16.	150(अ)	26-03-96
17.		3-12-97
18.	221	17-07-99
19.	230	28-04-2001

स्पष्टीकारक ज्ञापन

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 318 के खंड (क) के अधीन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने की अन्य बातों के साथ विनियम बनाने के लिए सशक्त हैं। राष्ट्रपति ने, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 बनाए हैं। इन विनियमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को 1 मई, 2007 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के वेतन, प्रसुविधाओं और भत्तों के समान करने का विनिश्चय किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2007

G.S.R. 450(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of article 318 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Members) Amendment Regulations, 2007.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of May, 2007.

2. In the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969 (hereinafter referred to as the said regulations) for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely :—

"**4. Pay.**—There shall be paid to the Chairman a salary which is equal to the salary of the Chief Election Commissioner and to the other Members a salary which is equal to the salary of an Election Commissioner :

Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office as the Chairman, or as the case may be, a Member, was in receipt of, or, being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or under the Government of a State, his salary in respect of service as the Chairman or, as the case may be, a Member shall be reduced—

(a) by the amount of that pension; and

(b) If he had, before assuming office, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension".

3. In the said regulations, regulation 4A shall be omitted.

4. In the said regulations, for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely :—

"**6 Leave.**—(1) A person who, immediately before the date of assuming office as the Chairman or a Member, was in service of Government may be granted during his tenure of office but not thereafter, leave in accordance with the rules for the time being applicable to the service to which he belonged before such date, and he shall be entitled to carry forward the amount of leave standing at his credit on such date notwithstanding anything contained in regulation 8.

(2) Any other person who is appointed as the Chairman or a Member may be granted leave in accordance with such rules as

are for the time being applicable to a member of the Indian Administrative Service.

(3) The power to grant or refuse leave to the Chairman or a Member and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest in the President".

5. In the said regulations, regulation 7 and the Schedule shall be omitted.

6. In the said regulations, for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely :—

"8. **Pension payable to the Chairman and Members.**—(1) A person who, immediately before the date of assuming office as the Chairman or a Member was in service of Government, shall be deemed to have retired from service on the date on which he enters upon office as the Chairman or a Member but his subsequent service as the Chairman or a Member shall be reckoned as continuing approved service counting for pension in service to which he belonged.

(2) Where the Chairman or a Member demits office [whether in any manner specified in sub-regulation (3) or by resignation], he shall on such demission be entitled to—

(a) a pension which is equal to the pension payable to the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner in accordance with the provisions of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Conditions of Service) Act, 1991 (11 of 1991) as amended from time to time, for the period he served as the Chairman or Member, as the case may be; and

(b) such pension (including commutation of pension), family pension and gratuity as are admissible to the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner under the said Act and the rules made thereunder, as amended from time to time.

(3) Except where the Chairman or a Member demits office by resignation, he shall be considered for the purpose of these regulations, to have demitted his office if, and only if—

(a) he has completed the term of office; or

(b) he had attained the age of sixty five years; or

(c) his demission of office is medically certified to be necessitated by ill health".

7. In the said regulations, for regulation 9 the following regulation shall be subtituted, namely:—

"9. **Right to subscribe to General Provident Fund.**—Every person holding office as the Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund (Central Services)."

8. In the said regulations, for regulation 10 the following regulation shall be substituted, namely:—

"10. **Other conditions of service.**—Save as otherwise provided in these regulations, the conditions of service relating to travelling allowance, provision of rent-free residence and exemption from payment of income-tax on the value of such rent-free residence, conveyance facilities, sumptuary allowance, medical facilities, post-retirement benefits and such other conditions of service as are for the time being applicable to the Chief Election Commissioner or an Election Commissioner in accordance with the provisions of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Conditions of Service) Act, 1991 (11 of 1991) and the rules made thereunder as amended from time to time, shall, so far as may be, apply to the Chairman and other Members".

9. In the said regulations, Regulations 11, 11A, 12, 13, 14 and 14A shall be omitted.

10. In the said regulations, for regulation 15, the following regulation shall be substituted, namely:—

"15. **Applicability of rules and orders.**—(1) The conditions of service of the Chairman and other Members for which no express provision has been made in these regulations shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners.

(2) Nothing in these regulations shall be construed as rendering the conditions of service of the Chairman or any other Members less favourable than that existed on the date of his appointment".

[No. 39019/05/96-Estt.(B)(Vol. IV)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

"**Note :**—The Principal regulations were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 1402, dated the 11th October, 1969 and subsequently amended *vide*:—

S. No.	G.S.R. No.	Date of Publication
1.	1230	6-10-79
2.	1418	1-12-79
3.	357	8-3-80
4.	977	27-9-80
5.	832	12-8-81
6.	388	21-5-83
7.	640	3-9-83
8.	584	30-5-84
9.	692	6-9-86
10.	344	30-4-88
11.	583	30-7-89
12.	379	4-6-90
13.	667(E)	4-7-92
14.	496(E)	30-6-93
15.	373	2-7-93
16.	150(E)	26-3-96
17.		3-12-97
18.	221	17-7-99
19.	230	28-4-2001

EXPLANATORY MEMORANDUM

Under clause (a) of Article 318 of the Constitution, the President is empowered to make regulations, *inter-alia*, to regulate the conditions of service of the Members of the Union Public Service Commission. In exercise of this power, the President has framed the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969. These regulations are reviewed from time to time and necessary amendments are made. It has been decided by the Government to give parity in pay perquisites and allowances with the Chief Election Commissioner/Election Commissioner to the Chairman and Members of the Union Public Service Commission with effect from 1st May, 2007.

2. It is certified that no one is being adversely affected by giving retrospective effect to these regulations.

2932 GI/07-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.